

मध्य प्रदेश शासन  
वित्त विभाग  
मंत्रालय-वल्लभ भवन-भोपाल

क्रमांक:-एफ 9-6/2012/नियम/चार  
प्रति,

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

शासन के समस्त विभाग,  
अध्यक्ष, राजस्व मंडल,  
समस्त विभागाध्यक्ष,  
समस्त संभागीय आयुक्त,  
समस्त जिलाध्यक्ष,  
मध्यप्रदेश ।

विषय:-नवीन अंशदायी पेंशन योजनान्तर्गत अभिदाता पासवर्ड (I-Pin/T-Pin) reissue किए जाने हेतु ₹ 50.00 चालान द्वारा शासकीय खाते में जमा कराये जाने विषयक ।

\*\*\*


नवीन अंशदायी पेंशन योजना के अन्तर्गत अभिदाताओं का NSDL के साथ पंजीयन कराते समय जारी किये गये PRAN के साथ उपलब्ध कराये गये पासवर्ड /IPin/TPin के सेवा शुल्क का भुगतान शासन द्वारा NSDL को किया जाता है, लेकिन अभिदाताओं की लापरवाही से बार-बार पासवर्ड लॉक होने पर दुबारा पासवर्ड जारी करने का अनुरोध किया जाता है । NSDL द्वारा पासवर्ड reissue करने पर प्रति पासवर्ड (I-Pin/T-Pin) ₹ 50.00 का शुल्क लिया जाता है, जो कि शासन द्वारा वहन किया जा रहा है । अभिदाताओं की त्रुटि के कारण पासवर्ड लॉक होने पर reissue कराने की स्थिति में ₹ 50.00 का सेवा शुल्क संबंधित अभिदाता से वसूल कर चालान द्वारा लेखा शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60-अन्य सेवाएँ, 800-अन्य प्राप्तियों में जमा कराने की व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू की जाती है ।

उपरोक्त प्रक्रिया संबंधित कोषालय द्वारा निम्न चरणों में सम्पादित की जा सकेगी-

- (1) अभिदाता ₹ 50.00 का चालान कोषालय से संबंधित बैंक में लेखा शीर्ष 0070-अन्य प्रशासनिक सेवाएँ, 60-अन्य सेवाएँ, 800-अन्य प्राप्तियों, (9099) PRAN रिकार्ड के पासवर्ड संबंधित प्राप्तियों में जमा कर, तत्पश्चात प्राप्त चालान की प्रति एवं NSDL निर्धारित प्रपत्र S 2 (संलग्न) के साथ डी0डी0ओ0 से सत्यापित कराकर संबंधित कोषालय को प्रस्तुत करें ।
- (2) कोषालय अधिकारी द्वारा NSDL से प्राप्त पासवर्ड का उपयोग कर निर्धारित प्रक्रियानुसार, प्राप्त अभिदाता पासवर्ड /I-Pin/T-Pin request के आधार पर आगामी तीन कार्य दिवस में पासवर्ड के reissue करने की कार्यवाही की जाएगी ।
- (3) कोषालयों द्वारा पासवर्ड reissue संबंधी समस्त जानकारी/रिकार्ड संकलित की जाय, तथा इसकी मासिक जानकारी संचालनालय, पेंशन को प्रेषित की जाएगी ।

संलग्न. उपरोक्तानुसार

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से  
तथा आदेशानुसार



(मनीष रस्तोगी)  
सचिव

म0प्र0 शासन, वित्त विभाग

पृष्ठा.क्रमांक : एफ 9-6/2012/नियम/चार  
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 4 अक्टूबर, 2012

1. राज्यपाल मध्यप्रदेश के सचिव, राजभवन भोपाल
2. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश, विधानसभा, भोपाल
3. निबंधक, उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर
4. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल
5. सचिव, लोक सेवा आयोग, इंदौर
6. सचिव, लोक आयुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल
7. निज सचिव/निज सहायक मंत्री/राज्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन, भोपाल
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल
9. सचिव राज्य निर्वाचन आयोग, मध्यप्रदेश, भोपाल
10. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण भोपाल/जबलपुर/इंदौर/ग्वालियर ।
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश भोपाल/इंदौर/ग्वालियर ।
12. महालेखाकार (लेखा और हकदारी)/(आडिट)-1/2 मध्यप्रदेश ग्वालियर/ भोपाल ।
13. अध्यक्ष व्यावसायिक परीक्षा मंडल /माध्यमिक शिक्षा मंडल, मध्यप्रदेश भोपाल ।
14. प्रमुख सचिव/सचिव /उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, भोपाल
15. आयुक्त कोष एवं लेखा, मध्यप्रदेश
16. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश भोपाल
17. अवर सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग (स्थापना शाखा/अधीक्षण शाखा/अभिलेख/मुख्य लेखाधिकारी ) मंत्रालय, भोपाल
18. मुख्य सचिव के स्टाफ आफिसर मंत्रालय, भोपाल
19. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष, लेखा एवं पेंशन मध्यप्रदेश
20. सभी प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, मध्यप्रदेश
21. संयुक्त संचालक, जनसंपर्क प्रकोष्ठ, मंत्रालय, भोपाल
22. अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य कर्मचारी कल्याण समिति कक्ष-2, मंत्रालय, भोपाल
23. अध्यक्ष, शासन के समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संगठन / संघों
24. सभी कोषालय अधिकारी /उप कोषालय अधिकारी
25. गार्ड फाईल

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिये अग्रेषित ।



(डी.के.सक्सैना)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग





